

राजस्व वाद संख्या:-20/2024

अशोक बनाम ओमकोर वगै०

निर्णय दिनांक:- 10/06/2025...

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्डुनू
श्रीमती सुमन देवी ॥ (आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी:-

मु०न० 20/2024

निर्णय दिनांक:- 10/06/2025

अशोक बनाम ओमकोर वगै०
दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 10/06/2025.....को श्रीमती सुमन देवी ॥
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता
है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि-

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि
मौजा ग्राम कासनी तहसील सूरजगढ जिला झुन्डुनू की सरहद में स्थित भुमि के हाल खसरा
नम्बर 129 रकबा 0.52 है०, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.88 है० भूमि के पक्षकारान को मुताबिक
विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09.06.2025 में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित
किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में
अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार
को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। । विभाजन
प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

यह आज दिनांक 10/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्रीमती सुमन देवी ॥ आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी


सूरजगढ

अज अदालत श्रीमती सुमन देवी ॥ आर.ए.एस. ,
बड़जलास: उपखंड अधिकारी सूरजगढ, झुन्झुनू (राजस्थान)

अशोक कुमार बनाम ओमकोर वगै०
दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मु०नं० 20/2024

दिनांक - 10.06.2025 को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा ग्राम कासनी तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भूमि के हाल खसरा नम्बर 129 रकबा 0.52 है०, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.88 है० भूमि के पक्षकारान को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09.06.2025 में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।


(सुमन देवी ॥ आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ